भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1688

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

विदेशी विश्वविद्यालयों का विकल्प चुनने वाले भारतीय छात्र

†1688. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री राकेश सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के भारतीय छात्रों के मध्य सार्वजनिक नीति कार्यक्रमों और कैरियर के प्रति बढ़ती लोकप्रियता का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि भारतीय छात्र उक्त कार्यक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों का विकल्प चुन रहे हैं;
(ग) क्या सरकार छात्रों और पेशेवर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोक नीति/लोक प्रशासन में परास्नातक कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी, जेएनयू आदि जैसे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करना चाहती है;
(घ) यदि हां, तो क्या संभावित कदम उठाए जाने वाले है और उसके लिए संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, नीति विचारक और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): आप्रवासन ब्यूरो, गृह मंत्रालय विदेश जाने वाले नागरिकों के प्रस्थान एवं आगमन संबंधी डाटा रखता है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के संबंध में कोई सूचकांक नहीं है। विदेश जाने के लिए भारतीयों का उद्देश्य उनके मौखिक प्रकटीकरण या देश छोड़ते समय आप्रवासन मंजूरी के समय उनके द्वारा प्रस्तुत गंतव्य देश वीजा के प्रकार से पता चलता है।

(ग) से (ङ): उच्च शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, वर्ष 2020-21 के अनुसार, सार्वजनिक नीति से संबंधित पाठ्यक्रम प्रवेश के साथ प्रवेश देने वाले संस्थानों का राज्य-वार

विवरण https://www.ugc.gov.in/pdfnews/2862251_LSPQ_1688_Annexure_I.pdf पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, यूजीसी द्वारा पाठ्यक्रमवार मंजूरी नहीं दी जाती है। चूंकि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय होते हैं, वे अपने-अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन से कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें पूरा करने पर विनिर्दिष्ट उपाधि प्रदान की जाएगी, जैसाकि संबंधित अधिनियम/संविधि और नियामक परिषदों, जहां लागू हो, में प्रावधान हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ऐसे कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जो बहु-विषयी और अंतर-विषयी हैं। उनकी सीनेट को शैक्षणिक मामलों जैसे किसी नए पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या आदि की शुरूआत करना आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

*****